1. **नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) क्या है?**

एनपीएस केन्द्र सरकार द्वारा अपने नए कर्मचारियों के लिए शुरू की गई नई अंशदायी पेंशन योजना है। एनपीएस के अंतर्गत, केन्द्र सरकार का प्रत्येक नया कर्मचारी सेवा में आने पर एक वैयक्तिक सेवा-निवृत्ति खाता खोलेगा। प्रत्येक माह और जब तक कर्मचारी सेवा-निवृत्त नहीं होता या सरकारी सेवा नहीं छोड़ देता, कर्मचारी के वेतन का एक हिस्सा इस खाते में अंतरित किया जाएगा। जब वह व्यक्ति सेवा-निवृत्त होगा तब वह इस बचत का उपयोग अ पनी वृद्धावस्था के दौरान अपने परिवार की जरूरतों और खर्चों के लिए कर सकेगा।

2. **एनपीएस कब शुरू की गई?**

एनपीएस आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के ईसीबी एवं पीआर प्रभाग द्वारा 22 दिसंबर 2003 को जारी की गई अधिसूचना 5/7/2003-ईसीबी एवं पीआर के जरिए 1 जनवरी 2004 से शुरू की गई थी।

3. **एनपीएस के अन्तर्गत कौन शामिल हैं?**

एनपीएस के अंतर्गत आप शामिल हैं यदि

1. आप 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद केन्द्र सरकार की सेवा में आए हैं, और
2. आप केन्द्रीय (सिविल) मंत्रालय या विभाग के कर्मचारी हैं, अथवा
3. आप रेलवे, डाक, दूरसंचार या सशस्त्र बल (सिविल), सहित गैर-सिविल मंत्रालय या वि भाग के कर्मचारी हैं, अथवा
4. आप किसी स्वायत्त निकाय, सहायता-अनुदान संस्था, संघ राज्य क्षेत्र या किसी अन्य ऐसे उपक्रम के कर्मचारी हैं जिसके कर्मचारी भारत की संचित निधि से पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं।

4. **एनपीएस के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है?**

आप एनपीएस के अंतर्गत शामिल नहीं हैं यदि

1. आप पहले ही कर्मचारी भविष्य निधि और विविध उपबंध अधिनियम, 1952 और इन निधियों को शासित करने वाले किन्ही अन्य विशेष अधिनियमों के तहत शामिल हैं, अथ वा
2. आप 1 जनवरी, 2004 से पूर्व केन्द्र सरकार की सेवा में आए हैं अथवा
3. आप भारतीय सशस्त्र बल (थल सेना, नौसेना और वायु सेना) के कर्मचारी हैं, अथवा
4. आप ऐसे विभाग में या ऐसे पद पर कार्यरत हैं जहाँ आप भारत की संचित निधि से पेंशन प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।

5. **यदि मैं 01 जनवरी, 2004 को या उसके बाद केन्द्र सरकार की सेवा में आया हूँ तो क्या मुझे एनपीएस में शामिल न होने का विकल्प प्राप्त है?**
जी, नहीं। आपके लिए एनपीएस अनिवार्य है।

6. **मैं एनपीएस के तहत शामिल हूँ। क्या पुराने पेंशन नियम मुझ पर लागू होते हैं?**
जी, नहीं। केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली (1972) आप पर लागू नहीं होती। आप एनपीएस के लिए बनाई गई नई पेंशन प्रणाली नियमावली द्वारा ही शासित किए जाएंगे।

7. **मैं एनपीएस के तहत शामिल हूँ। क्या मैं सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) में अंशदान कर सकता हूँ?**
जी, नहीं। सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियमावली, 1960 भी आप पर लागू नहीं होती। आपको जीपीएफ में अंशदान करने की अनुमति नहीं होगी।

8. **मैं एनपीएस के तहत शामिल हूँ। क्या मैं उपदान प्राप्त करने का पात्र हूँ?**
जी, नहीं। आप उपदान प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।

9. **एनपीएस किस प्रकार काम करती है?**
सरकारी सेवा में आने पर आपको एक अनन्य वैयक्तिक पेंशन खाता संख्या (पीपीएएन) आवंटित किया जाएगा। यह अनन्य खाता संख्या जीवन भर रहेगा। आप इस खाते और अनन्य पीपीएएन को किसी भी स्थान से और यदि आप अपनी नौकरी बदल भी दें, तब भी इस्तेमाल कर सकेंगे। पीपीएएन आपको दो वैयक्तिक खाते मुहैया कराएगाः

1. एक अनिवार्य टियर-I पेंशन खाता, और
2. एक स्वैच्छिक टियर-II बचत खाता।

10. **टियर-I और टियर-II खातों में अन्तर क्या है?**
1. टियर-I खाताः आपको अपने टियर-I (पेंशन) खाते में प्रत्येक माह अनिवार्य तौर पर अपने मूल वेतन+महंगाई भत्ता+महंगाई वेतन के 10% का अंशदान करना होगा। साठ वर्ष की आयु में सेवा-निवृत्त होने तक आपको इस खाते से अपनी बचत आहरित करने की अनुमति नहीं होगी। इस खाते में आपका मासिक अंशदान और आपकी बचत, सरकार द्वारा तय की जाने वाली अधिकतम सीमा के अध्यधीन, आयकर से मुक्त होगी। सेवा-निवृत्त पर आपके आहरण करने पर ही इन पर कर लगेगा।

2. टियर-II खाता : यह आपके लिए स्वैच्छिक बचत सुविधा भर है । इस खाते में आपके अंशदान ओर बचत को कोई कर-लाभ प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन आप इच्छानुसार इस खाते से अपनी बचत आहरित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

11. मैं अपने टियर-I (पेंशन) खाते में किस प्रकार अंशदान कर सकूँगा?

सरकार प्रत्येक माह आपके वेतन (मूल+महंगाई भत्ता+महंगाई वेतन) के 10% की कटौती करेगी और स्वतः ही इस राशि को आपके नाम से आपके टियर-I खाते में अन्तरित कर देगी।

12. क्या सरकार मेरे टियर-I (पेंशन) खाते में कोई अंशदान करेगी?

जी, हाँ। नियोक्ता के रूप में सरकार अपने अंशदान (मूल+महंगाई भत्ता+महँगाई वेतन का 10%) की समतुल्य राशि का अंशदान करेगी और आपके नाम से आपके टियर-I खाते में अन्तरित भी कर देगी।

13. क्या मैं अपने टियर-I खाते में 10% से अधिक अंशदान कर सकता हूँ?

जी, हाँ। सरकार द्वारा तय की जाने वाली किसी अधिकतम सीमा के अध्यधीन आप अपने टियर-I खाते में अधिदेशित मूल वेतन+महंगाई भत्ता+महंगाई वेतन के 10% से अधिक का अंशदान कर सकेंगे।

14. क्या सरकार भी मेरे टियर-I खाते में 10% से अधिक अंशदान करेगी?

जी, नहीं। सरकार का अंशदान आपके मूल वेतन+महंगाई भत्ता+महंगाई वेतन के 10% तक ही सीमित रहेगा।

15. यदि मैं किसी दूसरे शहर या देश में स्थानांतरित कर दिया जाऊँ, तो क्या होगा?

पीपीएएन संख्या वही रहेगी और आप विश्व में कहीं से भी उन्हीं खातों को इस्तेमाल कर सकेंगे।

16. यदि मैं सेवा-निवृत्त होने से पूर्व सरकारी सेवा छोड़ दूँ तो क्या सरकार मेरे टियर-I खाते में अंशदान करना जारी रखेगी?

जी, नहीं। सरकार द्वारा किया जाने वाला अंशदान तभी रुक जाएगा जब आप सरकारी सेवा छोड़ देंगे। लेकिन, टियर-I और टियर-II खातों में आपकी बचत आपके नाम में ही रहेगी और आप अपनी सेवा-निवृत्ति के लिए इन खातों को इस्तेमाल करना जारी रख सकेंगे।

17. **क्या सरकार मेरे टियर-II खाते में कोई अंशदान करेगी?**
जी, नहीं। सरकार आपके टियर-II खाते में कोई अंशदान नहीं करेगी।

18. **यदि अपनी सेवा-काल के दौरान मेरी मृत्यु हो जाए या स्थायी रूप से अपंग हो जाऊँ, तो क्या होगा?**
सरकार ने अभी तक इस संबंध में दिशानिर्देश जारी नहीं किए हैं।

19. **एनपीएस के संबंध में और मेरे हितों की रक्षा करने के लिए कौन उत्तरदायी होगा?**
सरकार एक नए समर्पित विनियामक प्राधिकरण की स्थापना कर रही है। इसे पेंशन निधि ि वनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) कहा जाएगा। पीएफआरडीए एनपीएस के लिए और एनपीएस में आपके हितों के संरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

20. **मेरा अंशदान कब आरम्भ होगा?**
आपके टियर-I पेंशन खाते में आपका अंशदान (और सरकार द्वारा समतुल्य अंशदान) आपके सरकारी सेवा में आने के महीने से अगले महीने में ही शुरू होगा। आपकी सेवा के पहले महीने में आपको पीपीएएन आवंटित किया जाएगा।

21. **सरकार में मुझे पीपीएएन कौन जारी करेगा, कौन मेरे खाते खोलेगा और कटौतियाँ करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा?**
जब आप सेवा में आएंगे, तो आपके आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) आपको एन पीएस फार्म भरने के निर्देश देंगे। आपको इस फार्म में अपना पूरा व्यावसायिक एवं वैयक्तिक ब्यौरा तथा अपने नामिती का विवरण देना होगा। डीडीओ आपको पीपीएएन संख्या जारी करेंगे और आपके एनपीएस खातों से संबंधित समस्त प्रशासनिक मामलों, जिनमें आपके अंशदान की कटौती, आपके टियर-I पेंशन खाते में आपके अंशदान और सरकार के समतुल्य अंशदान का अन्तरण करना शामिल है, के लिए भी उत्तरदायी होंगे।

22. **मेरे टियर-I खाते में किए गए मेरे अंशदान का क्या होगा?**
आपके टियर-I खाते में आपके मासिक अंशदान और सरकार द्वारा किए गए समतुल्य अंशदान को सरकार द्वारा पेंशन निधि प्रबंधक (पीएफएम) को आपके नाम में अंतरित कर दिया जाएगा। पीएफएम आपकी ओर से आपके अंशदान का निवेश करेगा। इस तरह आपकी बचत पर ब्याज अर्जित होगा और वह समय के साथ-साथ बढ़ती जाएगी।

23. **कौन-सी एजेंसी पीएफएम के रूप में कार्य करेगी ?**

पीएफआरडीए अग्रणी व्यावसायिक फर्मों को पीएफएम के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगा। इनमें से एक पीएफएम सरकारी क्षेत्र की एजेंसी होगा।

24. **इस बात का निर्णय कौन करेगा कि मेरे अंशदान और बचत की प्रबंध व्यवस्था कौन-सा पीएफएम करेगा?**

अपने अंशदान और बचत की प्रबंध-व्यवस्था करने के लिए पीएफएम का चयन आप करेंगे।

25. **क्या मुझे अपनी बचत के प्रबंधन के लिए एक से अधिक पीएफएम के चयन की अनुमति होगी?**

जी, हाँ। यदि आप चाहें तो आप अपनी बचत को बहुविध पीएफएम में रखने के पात्र होंगे जहाँ आपकी बचत का एक हिस्सा दो या उससे अधिक पीएफएम द्वारा किया जाता है।

26. **क्या मुझे अपनी पीएफएम तरजीह बदलने की अनुमति होगी?**

जी, हाँ। यदि आप चाहें तो अपना पीएफएम बदलने के लिए स्वतंत्र हैं और अपनी पसंद के दूसरे पीएफएम में अपनी सारी बचत ले जा सकते हैं।

27. **मेरी बचत कहाँ निवेशित की जाएगी?**

प्रत्येक पीएफएम आपको साधारण, मानक स्कीमों की सीमित संख्या की पेशकश करेगा। आप अपनी बचत के निवेश हेतु निम्नलिखित स्कीमों में से किसी एक के चयन के लिए स्वतंत्र होंगेः

स्कीम कः इस स्कीम में मुख्यतया सरकारी बांडों में निवेश किया जाएगा।

स्कीम खः इस स्कीम में मुख्यतया कारपोरेट बांडों में और अंशतः इक्विटी और सरकारी बांडों में निवेश किया जाएगा।

स्कीम गः इस स्कीम में मुख्यतया इक्विटी में और अंशतः सरकारी बांडों और कारपोरेट बांडों में निवेश किया जाएगा।

28. **क्या मैं एक स्कीम से अधिक के चयन के लिए पात्र हूँगा?**

जी, हाँ। आप इन तीन स्कीमों में से किसी में अपनी बचत रखने के लिए स्वतंत्र होंगे । जब कभी भी आप निर्णय लेंगे, आप अपनी बचत एक स्कीम से दूसरी स्कीम में बदलने के लिए भी स्वतंत्र होंगे।

29. पीएफएम और मेरे द्वारा चयनित स्कीम में मेरा अंशदान कैसे अंतरित किया जाएगा?

आप पीएफएम और स्कीम अपने डीडीओ को निर्दिष्ट करेंगे। डीडीओ आपके अंशदान को आप द्वारा चयनित पीएफएम और स्कीम में अंतरण की व्यवस्था करेंगे।

30. मेरे अंशदान पर प्रतिफल की कमाई की दर क्या होगी?

आपके अंशदान पर कोई निर्दिष्ट प्रतिफल की दर नहीं होगी। पीएफएम आपकी पसंद की स्कीम में आपकी बचत का निवेश करेगा। आप द्वारा चयनित स्कीम पर पीएफएम द्वारा उपार्जित प्रतिफल को आपके खाते में जमा करा दिया जाएगा।

31. क्या मुझे एनपीएस के अंतर्गत किसी शुल्क या प्रभार का भुगतान करना होगा?

आपको केंद्रीय अभिलेखपाल एजेंसी (सीआरए), जो आपके खातों का रखरखाव करेगी और पीएफएम को भी जो आपकी बचत का प्रबंधन करेगा, को शुल्क का भुगतान करना होगा। ये प्रभार आवधिक आधार पर आपकी बचत से काट लिए जाएंगे। सीआरए और पीएफएम द्वारा शुल्क और प्रभार पीएफआरडीए द्वारा विनियमित किए जाएंगे।

32. क्या पीएफआरडीए, पीएफएम और सीआरए पहले से विद्यमान हैं?

जी, नहीं। आगामी कुछ महीनों में पीएफआरडीए, सीआरए और पीएफएम नियुक्त कर दिए जाएंगे।

33. इस अवधि में मेरे अंशदान का क्या होगा?

इस (अंतरिम) अवधि के दौरान महालेखा नियंत्रक (सीजीए) और केन्द्रीय पेंशन लेखाकरण कार्यालय (सीपीएओ) एक-साथ कार्य कर रहे हैं। वे आपको पीपीएएन संख्या जारी करेंगे। आपके टियर-I पेंशन खाते के लिए आपके मासिक अंशदान की कटौती करेंगे और सरकार के समतुल्य अंशदान सहित लोक लेखे के अंतर्गत एक अलग शीर्ष में इसे अंतरित करेंगे।

34. क्या इस अवधि में टियर-I खाते में मेरे अंशदान पर मुझे कोई ब्याज मिलेगा?

जी, हाँ। आपका अंशदान और आपके नाम में सरकार का समतुल्य अंशदान सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) जितना ही ब्याज (8% प्रतिवर्ष) उपार्जित करेगा।

35. क्या मैं इस समय टियर-II खाता संचालित कर सकता हूँ?

जी, नहीं। आपको अपने टियर-II खाते के संचालन (और उसमें अंशदान करने) की अनुमति तभी होगी जब पीएफआरडीए, सीआरए और पीएफएम नियुक्त कर दिए जाएंगे।

36. **क्या मैं इस समय अपने टियर-I खाते में मूल+महंगाई भत्ता+महंगाई वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक अंशदन कर सकता हूँ ?**

जी, नहीं। आपको ऐसा करने की अनुमति सिर्फ तभी होगी जब पीएफआरडीए, सीआरए और पीएफएम की नियुक्ति हो जाएगी।

37. **मेरे टियर-I खाते में मेरे अंशदन और आमदनी का क्या होगा जब पीएफआरडीए, सीआरए और पीएफएम आदि नियुक्त हो जाएंगे ?**

आपके पूरे अंशदान, सरकार द्वारा समतुल्य अंशदान और उस पर उपार्जित ब्याज को आपके नाम में पीएफएम को और आपके द्वारा चयनित स्कीम में अंतरित कर दिया जाएगा।

38. **क्या मुझे प्रतिफल की चालू 8 प्रतिशत दर जारी रखने का विकल्प होगा?**

जी, नहीं। एक बार आपकी बचत पीएफएम में अंतरित हो जाने पर आपकी बचत को आप द्वारा चयनित स्कीम पर पीएफएम द्वारा उपार्जित प्रतिफल की दर ही मिलेगी।

39. **मुझे अपने टियर-I खाते से आहरण की अनुमति कब होगी?**

आप 60 वर्ष की आयु में अपने टियर-I खाते से अपनी बचत के आहरण के पात्र होंगे।

40. **जब मैं सेवा-निवृत्त होऊँगा तो टियर-I खाते में मेरी बचत का क्या होगा?**

जब आप सेवा-निवृत्त होंगे तो एकमुश्त राशि के रूप में अपनी बचत के 60% के आहरण के पात्र होंगे। आपसे अपेक्षित होगा कि अपनी बचत के शेष 40% का प्रयोग अपनी पसंद की किसी जीवन बीमा कंपनी से वार्षिकी स्कीम के क्रय पर करें। जीवन बीमा कंपनी आपके शेष जीवन के लिए आपको मासिक पेंशन का भुगतान करेगी।

41. **क्या मैं वार्षिकी के क्रय पर अपनी बचत का 40% से अधिक प्रयोग कर सकता हूँ?**

जी, हाँ।

42. **मेरी बचत का क्या होगा यदि मैं 60 वर्ष से पहले सेवा-निवृत्त होने का निर्णय लेता हूँ?**

आपसे अपेक्षित होगा कि वार्षिकी क्रय पर अपने टियर-I खाते में अपनी बचत का 80% प्रयोग करें। आप अपनी बचत के शेष 20% को एकमुश्त रूप में आहरित करने के पात्र होंगे।

43. **क्या वार्षिकी परिवार (उत्तरजीवी) पेंशन की व्यवस्था भी करेगी?**

जी, हाँ। आपको वार्षिकी के चयन का विकल्प प्राप्त होगा जो आपके पति/पत्नी को उत्तरजीवी पेंशन का भुगतान करेगी।